राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक – PSKS/अभियान –21 / SECY / LSG / 2022 / 103 दिनांक 14/07/2022

1. सम्भागीय आयुक्त समस्त।
2. जिला कलक्टर समस्त।
3. आयुक्त / सचिव, विकास प्राधिकरण समस्त।
4. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय समस्त।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 14.07.2022 को प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में निम्नलिखित आदेश दिये जाते है–

1. **वार्डवार सर्वेः–** प्रत्येक वार्ड के लिये संलग्न प्रारूप में उस वार्ड की वोटर लिस्ट के आधार पर सभी परिवारों (घरों) का सर्वे किया जायें, तथा इस सर्वे के दौरान शेष बचे पट्टा देने योग्य सभी घरों से निर्धारित आवेदन पत्र / फॉर्म भराकर लिया जाना सुनिश्चित करावें तद्नुसार उस वार्ड के लिये आयोजित होने वाले शिविर के लिये पट्टे जारी किये जाने सुनिश्चित किये जायें।
2. **वार्डवार शिविरः–** प्रत्येक वार्ड के लिये उसी वार्ड की सीमा में राजकीय भवन / टेन्ट लगाकर शिविर आयोजित किये जायें। ये शिविर प्रत्येक वार्ड में 2 से 3 दिवस का रहेगा। नगरीय निकाय के कार्यालय में वार्डो के शिविर आयोजित न किये जाकर उपर्युक्तानुसार संबंधित वार्ड में ही शिविर आयोजित किये जायें।
3. **वार्ड–वाईज शिविर में व्यवस्थाः–** संबंधित वार्ड में निर्धारित स्तर पर राजकीय भवन अथवा टेन्ट लगाकर शिविर का आयोजन किया जायें। शिविर में पर्याप्त संख्या में टेबल, कुर्सी, फर्निचर, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था, कार्यवार डेस्क / काउण्टर की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित किया जायें।
4. **शिविर में रिकॉर्ड की व्यवस्थाः–** प्रत्येक वार्ड–वाईज शिविर में प्रर्याप्त संख्या में विभिन्न सेवाओं के लिये खाली आवेदन पत्र, उस वार्ड से संबंधित ले–आउट प्लान, जोनल प्लान की प्रतियां भी उपलब्ध रखी जायें। तथा संबंधित वार्ड से संबंधित पट्टा देने निर्माण स्वीकृति एवं अन्य सेवाओं से संबंधित मूल पत्रावलियां अनिवार्य रूप से शिविर स्थान पर ही मौजूद हो।
5. **शिविर प्रभारीः–** जिला कलक्टर द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय के लिये अति. जिला कलक्टर, एसडीएम को प्रभारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन शिविर में उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा शिविर में सम्पूर्ण कार्य व्यवस्थायें शिविर प्रभारी द्वारा की जायेगी।
6. **पुरस्कार व्यवस्थाः–** जिला कलक्टर द्वारा जिले की नगरीय निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाये। इसी तरह प्रत्येक माह में नगरीय निकाय द्वारा किये गये प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तर पर अधिकारियो / कर्मचारियों को सम्मानित किया जायें।

7. **विभिन्न निर्देशों का सारांशः–** विभाग द्वारा अभी तक विभिन्न विषयों पर जारी निर्देशों बाबत 5 पुस्तके प्रकाशित कर भेजी गयी हैं। लेकिन यह देखने में आया हैं कि कई अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अभी तक संबंधित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन नहीं किया गया हैं। इसके कारण पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब होता हैं, अतः इस पत्र के साथ सभी निर्देशों के सारांश रूप में प्रस्तुतीकरण (15 स्लाईड) सम्प्रेषित किया जा रहा हैं, जिसका सभी भलीभांति अध्ययन करना सुनिश्चित करावें।
8. **खाली पदों का भरा जानाः–** इस कार्यालय के पत्रांक 7267 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा सभी जिला कलक्टर को नगरीय निकायों में खाली पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों को चार्ज दिया जाकर भरने हेतु निर्देशित किया गया हैं, तद्नुसार सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पद रिक्त नहीं रहा जायें।
9. **प्रचार–प्रसारः–** राज्य स्तर से विभिन्न माध्यमों से इस अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया हैं। स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रचार माध्यमों से अभियान के प्रावधानों एवं दी गयी छूटों को पर्याप्त प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कियो जाये ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकें।
10. **कन्ट्रोल रूमः–** राज्य स्तर पर स्थानीय निकाय विभाग कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया हैं जिसके नम्बर 18001806127 हैं। इसी तर्ज पर प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम बनाया जावें एवं उसके प्रभारी अधिकारी का नाम एवं फोन नम्बर स्थानीय अखबारों में प्रसारित करें ताकि उस पर लोग शिकायत/सुझाव प्रेषित कर सकें।
11. **विजिट/निरीक्षणः–** जिला कलक्टर द्वारा प्रतिदिन इन शिविरों का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायें। इसी तरह सम्भागीय आयुक्त, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा शिविरों का नियमित विजिट/निरीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
12. **पोर्टलः–** इस अभियान की मॉनिटरिंग हेतु वेबसाईट Http://psks2021.dlbrajasthan.in एवं psks.rajasthan.gov.in बनायी गयी हैं। अतः इनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जायें।

(कुंजीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग